Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : Geography
Research Link - 131, Vol - XIII (12), February - 2015, Page No. 90-91
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2014 - 1.8007

पर्यावरण प्रबंधन - समस्याएँ एवं समाधान

प्रस्तुत शोधपत्र में पर्यावरण प्रबंधन की समस्याओं एवं समाधान पर विचार किया गया है। पर्यावरण प्रबंधन को रेखांकित करते हुए रियोर्ड ने लिखा है कि, प्रबंधन का तात्पर्य होता है, विभिन्न वैकल्पिक प्रस्तावों में से उपयुक्त प्रस्ताव का विवेकपूर्ण चयन, ताकि निर्धारित एवं इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। प्रबंधन में अल्पकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक या अनेक रणनीतियाँ अपनाई जाती है, परंतु दीर्घकालिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्था अपेक्षित होती है।

डॉ.डी.पी.चतुर्वेदी* एवं डॉ.प्रकाश शर्मा**

अपनी उन्नति को सतत् बनाए रखने के लिए आदिकाल से आज तक मानव समाज विविध प्रयोग करता रहा है। मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु भौतिक संसाधनों का प्रयोग मानव के ज्ञान–विज्ञान और तकनीकी विकास पर आधारित है। जब तक प्रति के सहयोग से मानव अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति करता रहा, तब तक पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलित रहो। आधुनिक समाज में बढ़ती जनसंख्या, भौतिकवादी उच्च तकनीक और प्रति के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार ने प्रगति की गति को तीव्र बना दिया है जिसका प्रभाव स्पष्ट दृष्टव्य है। संसाधन दोहन, अत्यधिक ऊर्जा का प्रयोग, औद्योगिकरण, शहरीकरण, मशीनीकरण, सौरमण्डलीय उपग्रह, त्रिम उपग्रह, परमाणु परीक्षण तथा प्रति के प्रति बढ़ती उपेक्षा की भावना से पर्यावरण– ह्यस की एक ऐसी विकराल स्थिति आ गई है कि आज उस पर विचार करना आवश्यक हो गया है।

मानव और पर्यावरण का निकट का संबंध है। पर्यावरण मानव को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। आधुनिक मानव–समाज वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के उत्पादों से स्वयं को विलग रखने की कल्पना भी नहीं कर सकता, परन्तु आधुनिक प्रौद्योगिकी के हमारे पर्यावरण पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों की अनदेखी नहीं कर सकता, क्योंकि मानव–जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने तथा उसके संरक्षण हेतु प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण के मध्य समन्वय बनाए रखना नितांत आवश्यक है। पर्यावरणीय या पारिस्थितिकीय एवं विकासीय दोनों ही नीतियों का उद्देश्य जीवन का गुणात्मक (फनंसपजल वि सपमि) उन्नयन है। ऐसा विकास जिसमें पर्यावरणीय संसाधनों का अतार्किक एवं विनाशपूर्ण उपयोग होता है, पारिस्थितिकीय असंतुलन को जन्म देता है। हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण आर्थिक विकास है, उतना ही पर्यावरण को शुद्ध रखना है। हमें ऐसे मार्ग का चयन करना है जो कि विनाश–रहित हो।

पर्यावरण–प्रबन्धन की आवश्यकता आज की प्राथमिक आवश्यकता है, जिसके द्वारा न केवल संसाधनों का युक्तिसंगत उपयोग हो सके अपितु क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने एवं पर्यावरण की क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जा सके; और आवश्यकता होने पर उपयोग सीमित किया जा सके। पर्यावरण प्रबंधन का मूल उद्देश्य प्रातिक संसाधनों का युक्तियुक्त उपयोग, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, आर्थिक मूल्यों को नई दिशा प्रदान करना तथा शुद्ध पर्यावरण प्रदान करना है। यह कार्य एकाकी अथवा एक संस्था का न होकर सामूहिक रूप से ही संभव है। इसमें प्रशासन, सामाजिक संस्थाएँ और प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका मुख्य है। यदि हम पर्यावरण की शुद्धि चाहते हैं तथा भविष्य में उसे स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक रखना चाहते हैं तो हमें पर्यावरण प्रबंधन पर समुचित ध्यान देना होगा।

विश्व विकास रिपोर्ट, 1992 में पर्यावरण–प्रबंधन एवं विकास के लिए दो आधार बनाए गए हैं :

(1) ऐसी नीति का निर्धारण जो उत्पादन एवं पर्यावरण में धनात्मक सहसंबंध स्थापित कर अनुचित और असफल नीतियों में सुधार, संसाधन और तकनीक में संतुलन और लाभदायक आय से विकास का मार्ग प्रशस्त करे।

(2) लक्ष्य निर्धारण नीति जो पर्यावरण के विशिष्ट पक्षों से संबंधित समस्याओं के मूल्यांकन में पर्यावरणीय आधारों पर प्रबंधन का आधार बन सके।

पर्यावरण नीति से संबंधित प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं :

(1) पर्यावरण के विभिन्न घटकों को प्रदूषित होने से बचाना। (2) मनव की पर्यावरण–प्रदूषण से रक्षा। (3) विलुप्तशील प्रजातियों

**प्राध्यापक (भूगोल विभाग), शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन (उज्जैन)*
***प्राध्यापक (भूगोल विभाग), एम.सी.कॉलेज, बरपेटा (असम)*

का संरक्षण। (4) विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में पर्यावरण–प्रबंध हेतु समन्वय बनाना। (5) विकास–योजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव के दृष्टिकोण से विश्लेषण करना। (6) पर्यावरण संबंधी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय नीति–निर्धारण में सहयोग करना। (7) पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु निरन्तर पुनरीक्षण हेतु व्यवस्था करना। (8) पर्यावरण–संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु पर्याप्त मानवीय एवं संस्थागत साधनों को जुटाना। (9) पर्यावरण–चेतना जाग्रत करना तथा पर्यावरण शिक्षा का विस्तार करना। (10) प्रबंधन हेतु किए गए उपायों के परिणामों की सतत जाँच एवं सुधार। (11) पर्यावरण नियोजन हेतु प्रारूप तैयार करना। (12) पर्यावरण के विविध पक्षों पर शोध कार्यो को बढ़ाना।

वास्तव में पर्यावरण–प्रबंधन नीति वर्तमान युग की महती आवश्यकता है। अतः इस पर समुचित ध्यान देना आवश्यक है। पर्यावरण के प्रति लापारवाही के प्रति अनेक दुष्परिणाम सामने आए हैं, उक्त संदर्भ में कुछ प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएँ इस प्रकार हैं :

(1) प्रति के साथ छेड़–छाड़ से जलवायु में परिवर्तन होने लगा है। (2) मानव की प्रति विरोधी नीति से हरित ग्रह प्रभाव का जन्म हुआ। (3) वैज्ञानिकों का मानना है सल्फाइडाईक्साईड वायुमण्डल में पहुँचकर जल में मिश्रित होकर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर, अम्ल वर्षा को जन्म देती है। (4) ओजोन परत का क्षयीकरण के लिए क्लोरोफ्लोरो कार्बन उत्तरदायी है। ओजोन, जो धरती के लिए पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण इसका तेजी से ह्रास हो रहा हैं। (5) परमाणु ऊर्जा के गलत प्रयोगो से पर्यावरण में वितियाँ रेडियोएक्टिव पदार्थो या किरणों के कारण आती हैं। (6) मरूस्थलों का विस्तार निरन्तर बढ़ता जा रहा है। (7) आज का युग ''उपयोग एवं फैंक देने'' का होने लगा है। इस कारण उपभोक्तावाद ने अपशिष्ट उत्पाद के विसर्जन को एक समस्या बना दिया है। (8) वर्षा में अनिश्चिता अर्थात कभी अतिवृष्टि तथा कभी अनावृष्टि दिखाई दे रही है। (9) मिट्टी की उर्वरक शक्ति में निरन्तर ह्रास हो रहा है। (10) नई–नई घातक बीमारियों में (इबोला, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, एड्स) ने जन्म लिया हैं। (11) जैव–विविधता का बड़ी तेजी से ह्रास हो रहा है। (12) संसाधनों की निरंतर कमी हो रही है।

असीमित मानवीय हस्तक्षेत्र के कारण पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित होता है। इसके **परिणाम** चार रूपों में दृष्टिगोचर होते हैं:

(1) Environmental Pollution **(2)** Environmental Exhaustion **(3)** Natural Calamities **(4)** Ecological Degradation.

पर्यावरण प्रबंधन के निम्नलिखित आठ पक्ष बेहद महत्वपूर्ण हैं :

(1) पर्यावरण बोध एवं जन चेतना (2) पर्यावरण शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शोध (3) उत्पादन तकनीक और संसाधन प्रबंधन (4) विज्ञान और बौद्धिक कुशलता का विकास (5) पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन (6) पर्यावरण अवनयन तथा प्रदूषण नियंत्रण (7) राजनीतिक–प्रशासनिक सहयोग एवं (8) सांस्कृतिक आयामों का नियमन।

पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के पर्यावरण सम्मेलन 1972 स्टॉक होम से अनेक कदम उठाए जा रहे है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इसी परिप्रेक्ष्य में बनाया गया है। **कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार किए गए हैं :**

(1) पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसको निष्पादित करना। (2) पर्यावरण के विभिन्न आयामों के संबंध में उसकी क्वालिटी के लिए मानक अधिकथित करना। (3) विभिन्न स्त्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सारण के मानक अधिकथित करना। (4) उन क्षेत्रों का निर्बन्धन जिनमें कोई उद्योग संक्रियाएं या प्रसंस्करण या किसी वर्ग क उद्योग, संक्रियाएँ या प्रसंस्करण नहीं चलाए जाएंगे या कुछ रक्षोपायों के अधीन रहते हुए चलाये जाएंगे। (5) ऐसी दुर्घटनाओं के निवारण के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय अधिकथित करना जिनसे पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए उपचारी उपाय अधिकथित करना। (6) परिसंकटमय पदार्थो को हथालने के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय अधिकथित करना। (7) ऐसी विनिर्माण प्रक्रियाओं, सामग्री और पदार्थो की परीक्षा करना जिनसे पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना है। (8) पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं के संबंध में अन्वेषण और अनुसंधान करना और प्रायोजित करना। (9) किसी परिसर, संयंत्र, उपसक, मशीनरी, विनिर्माण या अन्य प्रक्रिया, सामग्री या पदार्थो का निरीक्षण करना और ऐसे प्राधिकरणों, अधिकारियों या व्यक्तियों को, आदेश द्वारा ऐसे निर्देश देना जो वह पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें। (10) ऐसे त्यों को कार्यान्वित करने के लिए पर्यावरण प्रयोगशालाओं और संस्थाओं की स्थापना करना या उन्हें मान्यता देना, जो इस अधिनियम के अधीन ऐसी पर्यावरण प्रयोगशालाओं और संस्थाओं को सौंपे जाएं। (11) पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित विषयों की बाबत जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना। (12) पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन से संबंधित निर्देशिकाएँ, संहिताएँ या पथप्रदर्शिकाएं तैयार करना। (13) ऐसे अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझें।

पर्यावरण–प्रबंधन को रेखांकित करते हुए रियोर्ड ने लिखा है कि ''प्रबंधन का तात्पर्य होता हैः विभिन्न वैकल्पित प्रस्तावों में से उपयुक्त प्रस्ताव का विवेकपूर्ण चयन ताकि निर्धारित एवं इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। प्रबंधन में अल्पकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक या अनेक रणनीतियाँ अपनाई जाती है, परन्तु दीर्घकालिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्था अपेक्षित होती है''।

संदर्भ :

(1) हमारा पर्यावरण : पर्यावरण एवं विज्ञान प्रकोष्ठ, गांधी प्रतिष्ठान नई दिल्ली। (2) पर्यावरण शिक्षा : हरिशचन्द्र व्यास विद्या प्रकाशन नई दिल्ली। (3) कौशिक, एस.डी., मानव भूगोल, रस्तोगी प्रकाशन, मेरठ। (4) सक्सेना डॉ. हरिमोहन, पर्यावरण परिस्थितिकी, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर। (5) Robert, A., Man & Environment, Penguin Books. (6) Billings W.D., Plant, Man and Ecosystem, Macmillan. (7) खान आई. ए., पर्यावरण विधि सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, 2007. (8) तिवारी एम.के., पर्यावरण विधि, 2009.

❁❁

Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : Geography
Research Link - 131, Vol - XIII (12), February - 2015, Page No. 92-93
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2014 - 1.8007

हिसार जनपद में मिट्टियों का वर्गीकरण

प्रस्तुत शोधपत्र, हिसार जनपद में मिट्टियों के वर्गीकरण पर आधारित है। कृषि प्रधान क्षेत्रों, विशेष रुप से भारत के हरियाणा जैसे राज्य के लिए मिट्टी का अपना अलग महत्व है। मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता, संगठन आदि क्षेत्र के कृषि विकास को प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करते हैं। मिट्टी, खनिज एवं जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मृदा मानव संस्कृति एवं सभ्यता की जननी है। कृषि एवं पशुपालन मुख्यतः मिट्टी पर ही आधारित है। हिसार जनपद की मिट्टी को प्राथमिक रुप से दो भागों में बांटा गया है, उर्वरा मिट्टी एवं अनुर्वरा अर्थात् जलोढ़ मिट्टी। उक्त मिट्टी के अतिरिक्त मिट्टी की बनावट, रंग, उर्वरता एवं संगठन के आधार पर बांटकर विस्तृत रुप से शोधपत्र में अध्ययन किया गया है।

डॉ.उर्मिला सभरवाल

क्षेत्र का परिचय :

हिसार प्रशासनिक दृष्टि से हरियाणा राज्य के प्रमुख कृषि प्रधान जनपदों में से एक है, जो राज्य की उत्तरी–पश्चिमी सीमा पर स्थित है। हिसार जनपद को 14वीं शताब्दी में फिरोजशाह तुग़लक ने बसाया था। इसका पूराना नाम हिसार–ए–फिरोजा था, जो अब हिसार के नाम से जाना जाता है। जनपद में कुल 4 तहसीलें है – हिसार, आदमपुर, हाँसी व नारनौंद, 9 विकास खण्ड व 274 गाँव सम्मिलित है।

हिसार जनपद चार तहसीलों से मिलकर बना है। इसका अक्षांशीय विस्तार $28^0$38′20′′ उत्तर से $20^0$38′20′′ उत्तर तथा देशान्तरीय विस्तार $75^0$21′10′′ पूर्व से $75^0$18′45′′ पूर्व तथा कुल क्षेत्रफल 3787. 90 वर्ग कि.मी. है, पश्चिम में राजस्थान राज्य उत्तर में हरियाणा का फतेहाबाद जनपद, उत्तर पूर्व में जींद जनपद तथा पूर्व में रोहतक व द0 में भिवानी इसकी सीमाएँ बनाते हैं। हिसार जनपद हरियाणा राज्य का लगभग 11.68 प्रतिशत भू–भाग को घेरे हुए है तथा प्रदेश की 14 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।

मिट्टी की संरचना :

मृदा अथवा मिट्टी शब्द लैटिन भाषा के सोलम से निकला है। प्रायः पृथ्वी की ढीली बनी सतह मिट्टी की संज्ञा से जानी जाती है। जो कठोर चट्टानी धरातल से भिन्न है। मृदा पौधों का पोषण करती है और इनकी वृद्धि में सहायक होती है। मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार मृदा से तात्पर्य भूपृष्ठ के उस भाग से है, जो मृदा प्रक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तित हुआ है। अतः चट्टानों के रासायनिक एवं भौतिक विखण्डन द्वारा निर्मित जैविक अथवा अजैविक खनिज–कणों का प्राकृतिक संग्रह 'मृदा' है। मृदा को परिभाषित करते हुए दो कुचाएव का कहना है कि ''मृदा प्राकृतिक व ऐतिहासिक विकास द्वारा धरातल पर प्रकट चट्टानों की अन्तर्किया का ऐसा विषम संयाग है, जो वनस्पति व पशु जगत के सुक्ष्म व स्थूल कार्बनिक जैविक क्रिया–जलवायु, स्थानीय उच्चावच और मानव के कार्यो का परिणाम है"। इसकी तीन अवस्थाएँ है – ठोस खनिज सामग्री, जल और गैसे अथवा वायु। मिट्टी–चट्टानों, जैविक जगत और पर्यावरण के दीर्घकालिन अन्तक्रिया द्वारा विकसित सामग्री है। मृदा प्रक्रिया में भूतात्विक, जैविक, जलीय, प्रस्तरीय, सामाजिक व निर्माण आर्थिक कारकों का प्रभाव पाया जाता है।

मूल तत्व :

मिट्टियों का निर्माण आग्नेय, परतदार चट्टानों के ऋतुक्षरण द्वारा होता है। ऋतुक्षरण की क्रिया से ठोस चट्टाने धीरे–धीरे विखण्डित होती जाती है। यह क्रिया सूर्य की धूप, वर्षा, पाला और हवा द्वारा घटित होती है। चट्टानें लगातार गर्मी व सर्दी से ठण्डी–गर्म बन कमजोर पड़ती रहती है। और इनका विखण्डन होता रहता है। यह विखण्डित चट्टानी सामग्री मृदा के मूल तत्व बन जाते है। ये तत्व जब पेड–पौधों, जीव कीटाणुओं, बैक्ट्रिया आदि जीवन में सहायक बनती है। इसमें रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन घटित होते है। इसलिए मृदा की प्रधान विशेषताएँ उसके मूल तत्वों पर निर्भर करती है।

मिट्टियों के वर्गीकरण के अनेक अधार है, जिनमें मृदा संरचना, गठन, उत्पादकता, उर्वरता आदि विशेषताएँ प्रमुख है। मृदा संगठन तथा भौतिक विशेषताएँ प्रमुख है। मृदा संगठन तथा भौतिक विशेषताओं के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण इस प्रकार से है:

मृदा का सामान्य वर्गीकरण :

(1) बलुई मिट्टी : इस मिट्टी के कण मोटे व मध्यम आकार के होते हैं व कणों का व्यास 0.25 मि. मीटर से अधिक होता है।

(2) दोमट मिट्टी : इस मिट्टी के कण सूक्ष्म व महीन कण होते हैं, इस मिट्टी के कणों का व्यास 0.02 से 0.05 मि.मीटर तक होता है।

सहायक प्राध्यापक, पं.एन.आर.एस.गव्हर्नमेंट कॉलेज, रोहतक (हरियाणा)

(3) मृतिका : इस मिट्टी के कण सूक्ष्म कण होते हैं तथा कणों का व्यास6.02 से अधिक होता है।

मिट्टी का क्षेत्रीय वर्गीकरण :

क्षेत्रीय वर्गीकरण के आधार पर मिट्टी चार प्रकार की होती है, (1) भौतिक, (2) कार्यकीय, (3) कटिबन्धीय, (4) उर्वरतानुसार।

मिट्टी का कटिबन्धीय वर्गीकरण :

कटिबन्धीय आधार पर मिट्टियों के दो प्रमुख वर्ग है – (1) पेडाल्फर तथा (2) पेडोकल।

(1) पेडाल्फर : इस मिट्टी में एल्युमिनियम तथा लोहे की प्रधानता होती है।

(2) पोडोकल मिट्टी : इस मिट्टी में कैल्शियम की प्रधानता होती है।

हिसार जनपद में मिट्टीयों का वर्गीकरण सामान्य वर्गीकरण के अन्तर्गत किया गया है।

मिट्टी का वर्गीकरण :

कृषि प्रधान क्षेत्रों विशेष रूप से भारत के हरियाणा जैसे राज्य के लिए मिट्टी का अपना अलग महत्व है। मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता, संगठन आदि क्षेत्र के कृषि विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते है। मिट्टी, खनिज एवं जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मृदा मानव संस्कृति एवं सभ्यता की जननी है। कृषि एवं पशु पालन मुख्यतः मिट्टी पर ही आधारित है। हिसार जनपद की मिट्टीयों को प्राथमिक रूप से दो भागों में बांटा गया है :

(1) उर्वरा मिट्टी (2) अनुर्वरा अर्थात जलोढ मिट्टी।

परन्तु मिटटी की बनावट, रंग, उर्वरता एवं संगठन के आधार पर इसे पाँच भागों में बाटाँ गया है :

(1) सूक्ष्म कण युक्त दोमट मिट्टी (Fine Loamy Soil)

(2) मिश्रित टोमट मिट्टी (Loamy with Coarse Loamy Assocaition)

(3) बृहद कण युक्त दोमट मिट्टी (Coarse Loamy)

(4) बालुका युक्त दोमट मिट्टी (Corse Loamy with Sandy Associations)

(5) रेतीली मिट्टी (Sandy Soil)

हिसार जनपद की मिट्टीयों के वर्गीकरण पर क्षेत्र के उच्चावच और जलवायविक शुष्कता का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है।

(1) सूक्ष्मकण युक्त दोमट मिट्टी :

सूक्ष्म कण युक्त दोमट मिट्टी प्राचीन एवं नवीन जलोढ़ मैदान में निर्मित है और अपनी प्राकृतिक उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। यह मिट्टी विशेष रूप से कृषि के लिए उपयुक्त है। यह मिट्टी हल्के रंग की उपजाऊ मिट्टी है। नहरों की सिंचाई एवं पानी की अधिकता के कारण कहीं–कहीं इस मिट्टी में 'रेह' ऊपर आ गई है। जिसे मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता नष्ट हो गई है। हिसार जनपद की यह महत्वपूर्ण मिट्टी है जिसे पूरे जनपद की कृषि निर्भर करती है। इस उपजाऊ मिट्टी में गेहूँ, तिलहन, कपास, चावल आदि फसलें उगाई जाती है। जनपद के 21 प्रतिशत भू–भाग में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है।

(2) मिश्रित दोमट मिट्टी :

इस प्रकार की मिट्टी भी प्राचीन एवं नवीन जलोढ़ के मिश्रण से बनी है। इस प्रकार की मिट्टी में दोमट के बड़े कणों की प्रधानता है। इस तरह की मिट्टी हाँसी तहसील के दक्षिणी–पूर्वी भाग में तथा नारनौंद तहसील में पाई जाती है। जनपद के लगभग 36 प्रतिशत भाग पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस तरह की मिट्टी में जलधारण क्षमता कम है। इस तरह की मिट्टी में गेहूँ, कपास और चावल अधिक मात्रा में उगाये जाते है। इस क्षेत्र में सिंचाई की संविधाएँ अधिक है।

(3) बृहद कण युक्त दोमट मिट्टी :

इस तरह की मिट्टी हिसार जनपद की तहसील में पाई जाती है। यह क्षेत्र बालुका युक्त मिट्टी के क्षेत्र से लगा हुआ है। इस क्षेत्र की मिट्टी बालू, कंकड युक्त होने के कारण केवल पेड़–पौधों के लिए उपयुक्त है। अगर सिंचाई सुविधा मिल जाए तो इस प्रकार की मिट्टी में कपास, गेहूँ, तिलहन और धान की फसल उगाई जाती है। क्षेत्र का लगभग 18 प्रतिशत भाग इस प्रकार की मिट्टी से ढ़का हुआ है।

(4) बालुका युक्त दोमट मिट्टी :

इस प्रकार की मिट्टी हिसार जनपद के दो छोटे–छोटे क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रथम हाँसी तहसील का दक्षिणी भाग जो कि भिवानी जनपद की उत्तरी सीमा पर भिवानी तहसील से जुड़ा है तथा दूसरा क्षेत्र हिसार तहसील का पश्चिमी भू–भाग जो कि जनपद की आदमपुर तहसील से लगा हुआ है। इस प्रकार की मिट्टी जनपद के 11 प्रतिशत भू–भाग पर फैली है। इस प्रकार की मिट्टी में गेहूँ, कपास तथा तिलहन की कृषि की जाती है।

(5) रेतीली मिट्टी :

इस प्रकार की मिट्टी जनपद की आदमपुर तहसील एवं हिसार तहसील के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यह क्षेत्र राजस्थान राज्य की सीमा से लगा हुआ है। जहाँ पर रेगिस्तान की सम्पूर्ण विशेषताएँ पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी कम उपजाऊ है, परन्तु सिंचाई की सुविधाओं के कारण इसे उपजाऊ बना लिया गया है। इस क्षेत्र में मोटे अनाज, तिलहन और कहीं–कहीं गेहूँ की कृषि भी की जाती है। इस प्रकार की मिट्टी लगभग 14 प्रतिशत भू–भाग को घेरे हुए है।

संदर्भ :

(1) R.L. Singh India A Regional Geography.

(2) Water and Soil Survey Department Roorkee.

(3) Semple, R.C. "Indluesrees of Geographic Environment".

(4) Mazzid Hussain.

(5) Bishnoi, O.P. The Agricultural Climate of the Hisar Area-Deptt of Agricultural Metrology C.C.H.A.U., Hisar.

(6) Alka Goutam, P-64,65, Agriculture Geography.

(7) District Gazetteer 1987.

(8) B.S. Naggi.

❁❁